क.

जे. वेधासिंह

वी.

आर. एम. गोविंदन और ओ. आर. एस.

(आपराधिक अपील [एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से बाहर उठना। 2019 का सं. 2864])

11 अगस्त, 2022

[एस**.** अब्दुल नजीर और जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.482 और s.300 (1) – उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा दायर आपराधिक याचिका नं.1 4 यू/एस तक।482 सी. आर. पी. सी. और यू/एस. एस. की कार्यवाही को रद्द कर दिया।120 बी, 406,420 और 34 आई. पी. सी. उस कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए यू/एस।138 एन. आई. अधिनियम की कार्रवाई के एक ही कारण से संबंधित और उन्हीं तथ्यों और आधारों पर, वर्तमान कार्यवाही के पंजीकरण से पहले लंबित थे-इसने अभिनिर्धारित किया कि, एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों को देखते हुए, केवल यू/एस. अपराध है।138 एन. आई. अधिनियम बनाया जा सकता है और यू/एस. एस. के तहत अपराधों के लिए कार्यवाही जारी रखी जा सकती है।406, 420, 120 बी और 34 आई. पी. सी. न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा-उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष कानूनी मुद्दा कि क्या तथ्य के समान आरोपों पर अभियुक्त पर एन. आई. अधिनियम के तहत एक अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जो विशेष अधिनियम है और आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए भी जो पूर्व दोषसिद्धि या बरी होने से प्रभावित नहीं हैं और क्या एस.300(1) सी. आर. पी. सी. इस तरह के मुकदमे के लिए आकर्षित करेगा-पक्षकारों द्वारा भरोसा किए गए निर्णय समान संख्या (दो न्यायाधीशों की संख्या) वाले न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए थे और इसमें शामिल कानूनी मुद्दे पर एक-दूसरे के साथ टकराव था-इसलिए, निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ द्वारा उत्तर के लिए तैयार किए गए कानून के प्रश्न-परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 -s.138-आई. पी. सी.-ss.120 बी, 406,420 और 34।

ग

डी.

ई.

च

न्यायिक अनुशासन-एक निर्णय में तय किया गया मुद्दा-समान संख्या वाले न्यायाधीशों की पीठ द्वारा बाद के निर्णय में विरोधाभासी दृष्टिकोण-आयोजित किया गयाःन्यायिक शिष्टाचार की मांग है कि यदि दो न्यायाधीशों की समान संख्या वाली पीठ द्वारा पारित निर्णय परस्पर विरोधी हैं, तो इसमें शामिल कानून के मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए क्योंकि यह भ्रम से बचने और कानून की स्थिरता बनाए रखने के लिए वांछनीय है।

जी.

मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1.**संगीताबेन महेन्द्रभाई पटेल के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपराध साबित करने की आवश्यकता

एच.

888 ए.

889

जे. वेदासिंह बनाम आर. एम. गोविंदन और ओ. आर. एस.

एन**.** आई**.** अधिनियम और आई**.** पी**.** सी**.** के तहत एक अपराध अलग है**,** और यह देखा गया कि तथ्यों का कुछ अतिव्यापी हो सकता है लेकिन अपराधों के तत्व पूरी तरह से अलग हैं**,** इसलिए**,** बाद के मामले किसी भी वैधानिक प्रावधानों द्वारा वर्जित नहीं हैं।

जबकि जी**.** सागर सूरी और कोल्ला वीरा राघव राव के मामले में**,**

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धारा **300 (1) Cr.P.C** के अनुसार किसी पर भी एक ही अपराध के लिए या यहां तक कि एक ही तथ्यों पर एक अलग अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और दोषी नहीं ठहराया जा सकता है**,** इसलिए**,** आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **420** के तहत अभियोजन **Cr.P.C** की धारा **300 (1)** द्वारा वर्जित है और तदनुसार रद्द किया जा सकता है।**[**पैरा **12] [898-**जी**-**एच**; 899-**ए**]**

1.2.संगीताबेन महेन्द्रभाई पटेल के मामले में जी**.** सागर सूरी और कोल्ला वीरा राघव राव के निर्णयों में कहा गया है **-**

ग

निर्दिष्ट किया गया था लेकिन इस आधार पर अलग किया गया था कि यह नहीं उठाया गया था और निर्णय लिया गया था कि दोनों अपराधों के तत्व समान नहीं थे**,** और **Cr.P.C** की धारा **300 (1)** का प्रतिबंध आकर्षित नहीं करेगा।**[**पैरा **12] [899-**बी**]**

डी.

1.3.दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णय दो न्यायाधीशों की पीठों द्वारा दिए जाते हैं।इस पीठ का

संगीता बेन महेंद्रभाई पटेल के मामले में अदालत ने इसका पालन किया

मेसर्स वी**.** एस**.** रेड्डी एंड संस ने इससे अलग दृष्टिकोण अपनाया है।

जी**.** सागर सूरी और कोल्ला वीरा राघव राव के पिछले निर्णय

उसी ताकत की बेंच द्वारा प्रस्तुत किया गया।दोनों मामलों में लिया गया दृष्टिकोण एक दूसरे के विपरीत है।यह एक तुच्छ कानून है**,** यदि किसी भी मुद्दे का निर्णय पिछले फैसले में उसी शक्ति की पीठ द्वारा किया जाता है**,** तो बाद के फैसले में परस्पर विरोधी दृष्टिकोण इस बहाने पर नहीं दिया जाना चाहिए कि इस मुद्दे को पिछले फैसले में नहीं उठाया गया है या उस पर विचार नहीं किया गया है।न्यायिक शिष्टाचार की मांग है कि यदि दो न्यायाधीशों की समान संख्या वाली पीठ द्वारा पारित निर्णय परस्पर विरोधी हैं**,** तो इसमें शामिल कानून के मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए क्योंकि यह भ्रम से बचने और कानून की स्थिरता बनाए रखने के लिए वांछनीय है।संबंधित पक्षों द्वारा उद्धृत उपरोक्त निर्णय परस्पर विरोधी हैं**,** हालांकि**,** किसी भी और भ्रम से बचने और निरंतरता बनाए रखने के लिए**,** निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस मुद्दे को बड़ी पीठ द्वारा निर्णय के लिए संदर्भित करना उचित समझा जाता हैः**(1)** क्या जी**.** सागर सूरी और कोल्ला वीरा राघव राव के मामले में निर्णय का अनुपात सही कानून निर्धारित करता है**?**या मामले में लिया गया दृष्टिकोण

ई.

च

जी.

एच.

890 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 6 एस. सी. आर.

क.

मेसर्स वी**.** एस**.** रेड्डी में संगीताबेन महेंद्रभाई पटेल

और पुत्र जो बाद में और विरोधाभासी हैं**,** कानून के सही प्रस्ताव को निर्धारित करते हैं**?(2)** क्या तथ्य के समान आरोपों पर अभियुक्त पर एन**.** आई**.** अधिनियम के तहत एक अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जो विशेष अधिनियम है और आई**.** पी**.** सी**.** के तहत अपराधों के लिए भी जो पूर्व दोषसिद्धि या बरी होने से प्रभावित नहीं हैं और धारा **300 (1) Cr.P.C** का बार इस तरह के मुकदमे के लिए आकर्षित करेगा**?[**पैरा **12] [899-**सी**-**एच**; 900-**ए**]**

जिला प्रबंधक, एपीएसआरटीसी, विजयवाड़ा बनाम के. शिवाजी,

(2001) 2 एससीसी 135:[2000] 5 पूरक।एस. सी. आर. 193 और

चंद्र प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2002 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1573

– पर भरोसा किया।

ग

संगीताबेन महेंद्रभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य

और अन्र, (2012) 7 एस. सी. सी. 621:[2012] 3 एससीआर 1155;

मेसर्स वी. एस. रेड्डी एंड संस बनाम मुथ्याला रामलिंगा रेड्डी

और एन. आर. (2015 की सी. आर. एल. अपील संख्या 1285) पर निर्णय लिया गया

28.09.2015; कोल्ला वीरा राघव राव बनाम गोरंटला

डी.

वेंकटेश्वर राव और अन्र., (2011) 2 एस. सी. सी. 703:[2011]

2 एससीआर 364; और जी. सागर सूरी और अन्र बनामयूपी राज्य

और अन्य, (2000) 2 एससीसी 636:[2000] 1 एस. सी. आर. 417-संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

ई.

[2012] 3 एससीआर **1155**

पैरा **6** को संदर्भित किया गया

[2011] 2 एससीआर **364**

पैरा **7** को संदर्भित किया गया

पैरा **7 [2000] 5** का उल्लेख किया गया है।एस**.** सी**.** आर**. 193** पैरा **12 2002** ए**.** आई**.** आर**.** एस**.** सी**.** डब्ल्यू**. 1573** पैरा **12** पर निर्भर था।

च

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : एसएलपी (सीआरएल) 2019 का सं. 2864।

सी. आर. एल. में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 06.12.2018 से। 2017 का ओ. पी. सं. 6750।

जी.

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, वाई. अरुणगिरी, पी. सोमा सुंदरम, जी. आर. विकास, ए. एस. वैरावन, आर. सुधाकरन, सुब्रमण्य बानो, सुश्री शालिनी मिश्रा, सुश्री पुष्पिता बी., अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एच.

891

जे. वेदासिंह बनाम आर. एम. गोविंदन और ओ. आर. एस.

क.

टी. हरीश कुमार, नवनीत दुगर, रघुनाथ सेतुपति बी., प्रशांत पद्मनाभन, सुभम कोठारी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।
न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.**

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2017 के CRL.O.P. संख्या 6750 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 06.12.2018 पर तत्काल अपील दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर आपराधिक याचिका नं.1 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (संक्षेप में "Cr.P.C") के तहत 4 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी, 406,420 और 34 (संक्षेप में "आई. पी. सी".) के तहत कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है। III, कोयंबटूर।

ग

3. तत्काल अपील के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलार्थी सऊदी अरब में सिविल इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था।वर्ष 2011 में भारत लौटने पर उन्होंने प्रतिवादी नं.2 उत्तरदाता सं. का पिता कौन है।1 कोयंबटूर में।इसके अलावा, उत्तरदाताओं के पास वी. सी. के. लेआउट, त्रिची रोड, कोयंबटूर शहर में कुल 7 अन्य आवास स्थल थे, जो सभी तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम को गिरवी रखे गए थे।अपीलार्थी ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थियों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें उक्त 7 स्थलों की भूमि के विकास के लिए धन निवेश करने के लिए कहा और आश्वासन दिया कि लाभ अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों के बीच विभाजित किया जाएगा।इसके अनुसार पक्षों के बीच एक लाभ-साझाकरण समझौता किया गया था।अपीलार्थी ने 32,754/- की राशि का निवेश किया, लेकिन न तो लाभ साझा किया गया और न ही अपीलार्थी को भूमि का कोई टुकड़ा दिया गया।नतीजतन, अपीलार्थी ने राशि चुकाने के लिए कहा।प्रत्यर्थी सं. द्वारा पुनः भुगतान के आश्वासन की आड़ में।1, अपीलार्थी ने अपने अनुरोध के अनुसार कोई आपराधिक अभियोजन दर्ज नहीं किया।प्रत्यर्थी नं.1 मूलधन राशि और ब्याज के पुनर्भुगतान के बदले में Rs.87,00,000 की राशि के लिए 09.09.2015 दिनांकित एक चेक सौंपा।

डी.

ई.

च

जी.

4. उक्त चेक को बैंक को प्रस्तुत करने पर 09.09.2015 पर अपर्याप्त धन के कारण इसका अपमान किया गया था।पीड़ित होने के कारण, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (संक्षेप में "एन. आई. एक्ट") की धारा 138 के तहत 2015 के एस. टी. सी. No.792 को 2016 के सी. सी. No.199 के रूप में पुनर्गणित करने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया गया था।

एच.

892

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 6 एस सी आर।

क.

कोयंबटूर के ट्रैक मजिस्ट्रेट नंबर 1 (संक्षेप में "138 कार्यवाही") अपीलार्थी द्वारा 07.12.2015 पर दर्ज किया गया था।138 कार्यवाही शुरू करने से पहले, अपीलार्थी ने 2015 की धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट नं. III कोयंबटूर 30.10.2015 पर।मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी नं. 5 एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए लेकिन 29.01.2016 दिनांकित रिपोर्ट दर्ज करके, यह कहा गया कि उत्तरदाताओं के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया है।अपीलार्थी ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 2016 का CRL.O.P. संख्या 6766 दाखिल करके इसे चुनौती दी और प्रतिवादी संख्या के खिलाफ निर्देश के लिए भी अनुरोध किया।5 नए सिरे से जांच करना।उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी के साथ इसका निपटारा किया कि अपीलार्थी विरोध याचिका के माध्यम से समापन रिपोर्ट पर आपत्ति उठा सकता है।इसके अनुसरण में, अपीलार्थी ने 2016 की Crl.M.P. संख्या 3891 के रूप में एक विरोध याचिका दायर की, जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा 24.09.2016 दिनांकित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी, जिसमें प्रत्यर्थी को नं. 5 प्रत्यर्थी सं. के विरुद्ध मामला दर्ज करना। 1 से 4 और जाँच पूरी करने के लिए।इसके बाद ही, प्रतिवादी नं।5 प्रतिवादी नं. के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।1 आई. पी. सी. की धारा 120 बी, 406,420 और 34 के तहत अपराधों के लिए 2016 के अपराध <आई. डी. 1 पर 4 तक, और जांच के बाद, सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान दायर किया गया था, जिस पर उसके द्वारा संज्ञान लिया गया था।

ग

डी.

5. प्रतिवादियों ने इससे व्यथित होकर, उपरोक्त कार्यवाही को रद्द करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 का CRL.O.P. संख्या 6750 दायर किया।उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया और इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को रद्द कर दिया कि वर्तमान कार्यवाही के पंजीकरण से पहले एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई के एक ही कारण से संबंधित और उन्हीं तथ्यों और आधारों पर कार्यवाही लंबित है।यह देखा गया कि एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों को देखते हुए, केवल एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध किया जा सकता है और आई. पी. सी. की धारा 406,420,120 बी और 34 के तहत अपराधों के लिए वर्तमान कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश पर तत्काल अपील में अपीलार्थी द्वारा हमला किया जाता है।

ई.

च

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागमुथु का तर्क है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में दोहरे खतरे या Cr.P.C की धारा 300 (1) के प्रतिबंध की याचिका केवल तभी आकर्षित होगी जब पहले का अपराध और बाद का अपराध समान हो या इसमें समान तत्व हों।तथ्य पर आरोपों की पहचान प्रासंगिक नहीं है, वास्तव में, अपराध के घटकों की पहचान प्रासंगिक है।प्रत्यर्थी नं. द्वारा ली गई याचिका।1 4 के लिए कि ए

जी.

एच.

893

जे. वेधासिंह बनाम आर. एम. गोविंदन और ओ. आर. एस. [जे. के. माहेश्वरी, जे.] ए.

जिस व्यक्ति को पहले बरी कर दिया गया है, उस पर बाद में उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, वह केवल तभी लागू होगा जब यह दिखाया जाएगा कि पिछले आरोप के लिए बरी होने से बाद के आरोप में बरी हो जाएगा।एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत एक अपराध में, पुरुष अधिकार साबित करने की आवश्यकता आवश्यक नहीं है, हालांकि धारा 420 के तहत एक अपराध के लिए, धोखाधड़ी और बेईमान इरादे यानी पुरुष अधिकार साबित करने के लिए प्रासंगिक है। उक्त तर्क के समर्थन में, के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है

संगीताबेन महेंद्रभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य और अन्र**, (2012)**

7 एससीसी **621**।मेसर्स के मामले में भी उक्त फैसले पर भरोसा किया गया है।

वी. एस. रेड्डी एंड संस बनाम मुथ्याला रामलिंगा रेड्डी और अन्र। (सीआरएल)

2015 की अपील संख्या 1285) ने 28.09.2015 पर निर्णय लिया।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित आई. पी. सी. की धारा 420,406,120 (बी) और 34 के तहत अपराध के लिए कार्यवाही को रद्द करने का आग्रह करना पूरी तरह से अनुचित है।7. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील तर्क देते हैं

ग

कि कोल्ला वीरा राघव राव बनाम गोरंटला वेंकटेश्वर राव और अन्र, (2011) 2 एस. सी. सी. 703 के निर्णय के अनुसार, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है

कि यदि अपराध अलग-अलग हैं और तथ्य समान हैं, तो आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अभियोजन Cr.P.C की धारा 300 (1) के आधार पर वर्जित है।

डी.

जी. सागर सूरी और अन्र बनाम के मामले में यह न्यायालय।उत्तर प्रदेश राज्य और

अन्य, (2000) 2 एस. सी. सी. 636, जिसमें एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराधों के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 406 और 420 के तहत अपराध कथित रूप से उस मामले के अभियुक्तों द्वारा किए गए थे।एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने के बाद, शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की गई जिसे खारिज कर दिया गया।इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करने पर, इसे अनुमति दी गई और न्यायालय ने निर्देश दिया कि धारा 420 और 406 के तहत अभियोजन मान्य नहीं है और रद्द कर दिया गया है।

ई.

च

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के साथ-साथ इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए अपनी दलीलें आगे बढ़ाने वाले उत्तरदाताओं को सुनने के बाद।द्वारा रखी गई निर्भरता

अपीलार्थी संगीताबेन महेंद्रभाई पटेल के फैसले पर है।

(उपर्युक्त**)** जिसमें इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों पर विचार किया है।संगीताबेन महेंद्रभाई पटेल **(**उपरोक्त**)** के निर्णय के प्रासंगिक भाग को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हैः

जी.

“35. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे जी. सागर सूरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2000) 2 एस. सी. सी. 636 के फैसले पर भरोसा रखा हैः2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 513] जिसमें

एच.

894 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 6 एस. सी. आर.

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही लंबित होने पर आई. पी. सी. की धारा 406/420 के तहत अभियोजन शुरू किया गया था।इस अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 406/420 के तहत आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।वास्तव में, यह मुद्दा कि क्या दोनों अपराधों के तत्व समान थे, न तो उठाया गया था और न ही तय किया गया था।इसलिए, उस निर्णय का अनुपात इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

36. कोल्ला वीरा राघव राव बनाम गोरंटला वेंकटेश्वर राव [(2011) 2 एस. सी. सी. 703:(2011) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 882:(2011) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 547] संबंधित है।इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि दर्ज हो जाने के बाद, उसी व्यक्ति पर आई. पी. सी. की धारा 420 या आई. पी. सी. के किसी अन्य प्रावधान या किसी अन्य क़ानून के तहत मुकदमा चलाने का सवाल संविधान के अनुच्छेद 20 (2) और सी. आर. पी. सी. की धारा 300 (1) द्वारा प्रभावित होने की अनुमति नहीं है।

ग

डी.

37. मान लीजिए, अपीलार्थी पर पहले एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था और मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।तत्काल मामले में, वह आई. पी. सी. की धारा 114 के साथ पठित धारा 406/420 के तहत शामिल है। एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोजन में, चेक जारी करने के समय धोखाधड़ी या बेईमान इरादे को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।हालाँकि, इसमें शामिल आई. पी. सी. के तहत मामले में, पुरुष अधिकार का मुद्दा प्रासंगिक हो सकता है।आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध गंभीर है क्योंकि 7 साल की सजा हो सकती है।

ई.

च

38. एन. आई. अधिनियम के तहत मामले में, एक कानूनी धारणा है कि चेक पूर्ववर्ती दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था और इस धारणा का खंडन केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो चेक खींचता है।आई. पी. सी. के तहत अपराधों में ऐसी आवश्यकता नहीं है। एन. आई. अधिनियम के तहत मामले में, यदि जुर्माना लगाया जाता है, तो इसे कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व को पूरा करने के लिए समायोजित किया जाना है।आई. पी. सी. के तहत अपराधों में ऐसी आवश्यकता नहीं हो सकती है। एन. आई. अधिनियम के तहत मामला केवल शिकायत दर्ज करके शुरू किया जा सकता है।हालाँकि, आई. पी. सी. के तहत एक मामले में ऐसी शर्त आवश्यक नहीं है।

जी.

एच.

895

जे. वेदासिंह बनाम आर. एम. गोविंदन और ओ. आर. एस. [जे. के. माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

39. दोनों ही मामलों में तथ्यों की कुछ अतिव्यापीता हो सकती है लेकिन अपराधों के तत्व पूरी तरह से अलग हैं।इस प्रकार, बाद का मामला उपरोक्त किसी भी वैधानिक प्रावधान द्वारा वर्जित नहीं है।

40. अपील किसी भी योग्यता से रहित है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।"

उसी के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि जी. सागर सूरी (उपरोक्त) के फैसले पर विचार किया गया है, लेकिन क्योंकि दोनों अपराधों के घटक के बारे में मुद्दा समान नहीं था या निर्णय नहीं लिया गया था, यह कहा गया है कि उस फैसले का अनुपात मामले के तथ्यों में लागू नहीं होता है।इसी तरह, कोल्ला वीरा राघव राव (उपरोक्त) के फैसले पर भी विचार किया गया है, लेकिन तथ्य के आधार पर अलग किया गया है, यह देखते हुए कि जब एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि दर्ज की गई है, तो उसी व्यक्ति पर आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत मुकदमा चलाने का अभियोजन Cr.P.C की धारा 300 (1) के अनुसार अनुमत नहीं है।

ग

मेसर्स वी. एस. रेड्डी एंड संस (सुप्रा) के मामले में संगीताबेन महेंद्रभाई पटेल (सुप्रा) पर भरोसा किया गया है।

डी.

9. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने जी. सागर सूरी (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा किया है और तर्क दिया है कि उक्त मुद्दे को दो दशक से अधिक समय पहले सुलझा लिया गया है।उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

ई.

"13. हाथ में मामले की परिस्थितियों में यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि अपीलार्थियों द्वारा आई. पी. सी. की धाराओं के तहत कथित रूप से अपराध करने के लिए आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना निश्चित रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।शिकायतकर्ता की ओर से दायर जवाबी-हलफनामे में अब यह स्वीकार किया जाता है कि दोनों अपीलकर्ताओं में से कोई भी गंगा ऑटोमोबाइल लिमिटेड का निदेशक नहीं है। केवल पहले अपीलकर्ता के संबंध में यह कहा गया है कि वह उस कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है और वास्तव में उसने उन चेकों पर हस्ताक्षर किए थे जिनका अपमान किया गया था। सर्वव्यापी बयान देने के अलावा कि बेईमान इरादों और गलत निरूपण के साथ पहले अपीलकर्ता को गंगा ऑटोमोबाइल लिमिटेड के लिए शिकायतकर्ता कंपनी से रुपये का ऋण मिला, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि वे गलत निरूपण क्या थे और शिकायतकर्ता कंपनी को कैसे ठगा गया था।दूसरे अपीलार्थी का एकमात्र अंश यह है कि पहला अपीलार्थी

च

जी.

एच.

अश्विनी सूरी, प्रबंध निदेशक और मुकुंदर सिंह, निदेशक के साथ जून 1996 में शिकायतकर्ता से संपर्क किया और प्रतिनिधित्व किया कि वे और शालिनी सूरी, शमा सूरी (अपीलकर्ता 2), चरणजीत सिंह और एम. एल. कंपानी गंगा ऑटोमोबाइल लिमिटेड के निदेशक थे। दूसरे अपीलार्थी द्वारा निभाई गई भूमिका, यदि कोई हो, के बारे में जवाबी-हलफनामे में कुछ भी नहीं कहा गया है।परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतकर्ता द्वारा पहले ही शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है।किसी भी आरोपी द्वारा किसी भी भ्रष्ट आचरण का कोई आरोप नहीं है जैसे कि उन्होंने रुपये की राशि के साथ भाग लेने में वित्त कंपनी को धोखा दिया हो।जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, एक वित्त कंपनी का व्यवसाय जमा आमंत्रित करना, उस पर ब्याज का भुगतान करना और ऋण देना और ब्याज अर्जित करना है।एक वित्त कंपनी अल्पकालिक ऋण भी देती है।उस मामले में यह

अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक लेनदेन है।पहले दो चेकों का अनादर किए जाने के बाद दो चेक फिर से जारी किए गए, जिनका फिर से अनादर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई। उत्तरदाताओं में से कोई भी यह नहीं बता सका है कि आई. पी. सी. की धारा 406/420 के तहत अपराधों को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायत में क्यों नहीं जोड़ा गया और क्यों एक अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने के लिए सहारा लिया गया।जाँच अधिकारी को एक निश्चित उद्देश्य के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन हमें लगता है कि हमें इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है।इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि तीन अन्य निदेशकों के खिलाफ जांच अभी भी लंबित क्यों है, जबकि सभी अभियुक्तों को एक ही भूमिका सौंपी गई है।एफ. आई. आर. में सुखविंदर सिंह है, जिसने पहले शिकायतकर्ता से संपर्क किया, लेकिन बाद में वह मुकेंद्र सिंह है।इसका कोई जवाब नहीं है कि दो अलग-अलग नाम क्यों हैं।गंगा ऑटोमोबाइल लिमिटेड के निदेशक कौन हैं, इस बारे में शिकायतकर्ता को कंपनियों के पंजीयक के रिकॉर्ड और इसकी स्थिति के बारे में भी आसानी से पता चल सकता था।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, शिकायतकर्ता के बाद के बयान में वह पहले अपीलार्थी को कोई भूमिका नहीं देता है।यह आरोप कि पहली बार में तीन व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता कंपनी से संपर्क किया, जिसने शिकायतकर्ता को अन्य निदेशकों के बारे में बताया, जिनके साथ शिकायतकर्ता ने टेलीफोन पर बातचीत की, असंभव प्रतीत होता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

897

जे. वेदासिंह बनाम आर. एम. गोविंदन और ओ. आर. एस. [जे. के. माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

14. हम अपीलार्थियों की इस दलील से सहमत हैं कि शिकायतकर्ता का पूरा प्रयास स्पष्ट रूप से परिवार के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से उन लोगों को, जो गंगा ऑटोमोबाइल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के माता-पिता हैं, तत्काल आपराधिक मामले में उनकी भूमिका या कथित अपराधों में भागीदारी की परवाह किए बिना शामिल करना है, जिसका एकमात्र उद्देश्य वित्त कंपनी को देय ऋण प्राप्त करना है और अपीलार्थियों को आपराधिक अभियोजन के साथ प्रताड़ित करना और अत्याचार करना है। अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक आपराधिक शिकायत पहले से ही लंबित है।यदि उनके खिलाफ धारा 138 के तहत अपराध साबित होता है तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।किसी भी मामले में शिकायतकर्ता के लिए आई. पी. सी. की धाराओं के तहत अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाने का कोई अवसर नहीं है और ऐसा करने में यह स्पष्ट रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और उन अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा रद्द किया जा सकता है, जो हम करते हैं।

ग

डी.

15. अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और 1997 के आपराधिक मामले संख्या 674 (अब 1998 का आपराधिक मामला संख्या 6054) में आई. पी. सी. की धाराओं के तहत अपीलार्थियों पर मुकदमा चलाया जाता है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के न्यायालय में लंबित है।"

ई.

10. इसी तरह कोल्ला वीरा राघव राव (ऊपर) के मामले में

इस न्यायालय ने उक्त मामले में लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की।प्रासंगिक अनुच्छेदों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हैः

"4. यह देखा जा सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (2) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 (1) में उपयोग की जाने वाली भाषा के बीच अंतर है। अनुच्छेद 20 (2) में कहा गया हैः

च

"20. (2) किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा।"

दूसरी ओर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 (1) में कहा गया हैः

जी.

"300. एक बार दोषी ठहराए जाने या बरी किए जाने के बाद व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।—(1) एक व्यक्ति जिस पर एक बार किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा मुकदमा चलाया गया है और दोषी ठहराया गया है या ऐसे अपराध से बरी कर दिया गया है, जबकि ऐसा दोषसिद्धि या बरी होना लागू है, उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, न ही किसी अन्य अपराध के लिए समान तथ्यों पर।

एच.

जिसके लिए धारा 221 की उप-धारा (1) के तहत उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से अलग आरोप लगाया गया हो सकता है, या जिसके लिए उसे उसकी उप-धारा (2) के तहत दोषी ठहराया गया हो सकता है।"

5. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 (1) संविधान के अनुच्छेद 20 (2) से अधिक व्यापक है।जबकि संविधान के अनुच्छेद 20 (2) में केवल यह कहा गया है कि "किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा", दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 (1) में कहा गया है कि किसी पर भी एक ही अपराध के लिए या यहां तक कि एक अलग अपराध के लिए भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन एक ही तथ्य पर।

ग

6. वर्तमान मामले में, हालांकि अपराध अलग हैं लेकिन तथ्य समान हैं।अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 (1) लागू होती है।नतीजतन, आईपीसी की धारा 420 के तहत अभियोजन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 (1) द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।

11. उस मामले में, इसी तरह के आरोपों पर, एक निजी शिकायत दर्ज करने पर एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत संज्ञान लिया गया था और आरोपी पर मुकदमा चलाया गया था, जबकि अन्य शिकायतों में यह आरोप लगाया गया है कि धारा 406 और 420 के तहत अपराध भी बनाया गया है, हालांकि, अदालत के निर्देश के अनुसार अलग अभियोजन दर्ज किया गया था।रद्द करने की याचिका दायर करने पर, इस न्यायालय ने कहा कि आरोपों के एक ही समूह पर दो अलग-अलग अपराधों यानी एन. आई. अधिनियम और आई. पी. सी. के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है और आई. पी. सी. की धारा 420 और 406 के तहत कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

डी.

ई.

12. संगीताबेन एम**.** महेंद्रभाई के फैसले के अवलोकन पर

पटेल (ऊपर) ने मेसर्स वी. एस. रेड्डी एंड संस (ऊपर) के मामले में भरोसा किया।

अपीलार्थी द्वारा और उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए निर्णयों में

च

जी. सागर सूरी (ऊपर) और कोल्ला वीरा राघव राव (ऊपर) का मामला

जैसा कि पहले उद्धृत किया गया था, तथ्य और आरोप समान थे और वह भी एन. आई. अधिनियम की धारा 138 और आई. पी. सी. की धारा 406 और 420 के तहत अपराधों के लिए अभियोजन भी समान थे।फैसले में

संगीताबेन महेन्द्रभाई पटेल (ऊपर) का यह मानना था कि

एन. आई. अधिनियम के तहत एक अपराध और आई. पी. सी. के तहत एक अपराध को साबित करने की आवश्यकता अलग है, और यह देखा गया कि तथ्यों का कुछ अतिव्यापी हो सकता है लेकिन अपराधों के तत्व पूरी तरह से अलग हैं, इसलिए, बाद के मामले किसी भी वैधानिक प्रावधानों द्वारा वर्जित नहीं हैं।जबकि जी. सागर सूरी (ऊपर) और कोल्ला वीरा राघव राव (ऊपर) के मामले में, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 300 (1) के अनुसार

जी.

एच.

899

जे. वेदासिंह बनाम आर. एम. गोविंदन और ओ. आर. एस. [जे. के. माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

Cr.P.C. किसी पर भी एक ही अपराध के लिए या यहां तक कि एक ही तथ्यों पर एक अलग अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अभियोजन Cr.P.C की धारा 300 (1) द्वारा वर्जित है और तदनुसार रद्द किया जा सकता है।यह देखने के लिए है कि के मामले में

संगीताबेन महेंद्रभाई पटेल (ऊपर) जी. सागर सूरी (ऊपर) और कोल्ला वीरा राघव राव (ऊपर) के फैसलों को संदर्भित किया गया है।

लेकिन इस आधार पर अलग किया कि यह नहीं उठाया गया था और निर्णय लिया गया था कि दोनों अपराधों के तत्व समान नहीं थे, और Cr.P.C की धारा 300 (1) का प्रतिबंध आकर्षित नहीं करेगा।यहां यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णय दो न्यायाधीशों की संख्या वाली पीठों द्वारा दिए जाते हैं।हमारे सुविचारित विचार में, मामले में इस न्यायालय की पीठ

संगीताबेन महेंद्रभाई पटेल (ऊपर) ने एम/एस. वी. एस. में अनुसरण किया।

ग

रेड्डी एंड संस (ऊपर) ने पिछले से अलग दृष्टिकोण अपनाया है।

जी. सागर सूरी (ऊपर) और कोल्ला वीरा राघव राव के निर्णय

(सुप्रा) उसी ताकत की बेंच द्वारा प्रस्तुत किया गया।दोनों मामलों में लिया गया दृष्टिकोण एक दूसरे के विपरीत है।यह देखने की आवश्यकता है कि यह एक तुच्छ कानून है, यदि किसी भी मुद्दे का निर्णय उसी शक्ति की पीठ द्वारा पिछले फैसले में किया जाता है, तो बाद के फैसले में परस्पर विरोधी दृष्टिकोण को इस बहाने पर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए कि इस मुद्दे को पिछले फैसले में नहीं उठाया गया है या उस पर विचार नहीं किया गया है।इस संबंध में जिले में निर्णय

डी.

प्रबंधक, ए. पी. एस. आर. टी. सी., विजयवाड़ा बनाम के. शिवाजी, (2001) 2 एस. सी. सी. 135, चंद्र प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2002 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1573

लाभप्रद रूप से निर्दिष्ट किया गया है जिसके तहत यह देखा गया है कि न्यायिक शिष्टाचार की मांग है कि यदि दो न्यायाधीशों की समान संख्या वाली पीठ द्वारा पारित निर्णय परस्पर विरोधी हैं, तो इसमें शामिल कानून के मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए क्योंकि यह भ्रम से बचने और कानून की स्थिरता बनाए रखने के लिए वांछनीय है।हमारे विचार में, संबंधित पक्षों द्वारा उद्धृत उपरोक्त निर्णय परस्पर विरोधी हैं, हालांकि, किसी भी और भ्रम से बचने और निरंतरता बनाए रखने के लिए, हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस मुद्दे को बड़ी पीठ द्वारा निर्णय के लिए संदर्भित करना उचित समझते हैंः

ई.

च

(1) क्या निर्णय का अनुपात**,** जी**.** सागर के मामले में

सूरी (सुप्रा) और कोल्ला वीरा राघव राव (सुप्रा) ने सही बताया।

कानून?

जी.

या

संगीताबेन महेन्द्रभाई पटेल (ऊपर) के मामले में लिया गया दृष्टिकोण जैसा कि मैसर्स वी. एस. रेड्डी एंड संस (ऊपर) में अनुसरण किया गया है

बाद में और विरोधाभासी, कानून का सही प्रस्ताव निर्धारित करें?

एच.

(2) क्या तथ्य के समान आरोपों पर अभियुक्त पर एन. आई. अधिनियम के तहत एक अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जो विशेष अधिनियम है और आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए भी जो पूर्व दोषसिद्धि या बरी होने से प्रभावित नहीं हैं और धारा 300 (1) Cr.P.C का बार इस तरह के मुकदमे के लिए आकर्षित करेगा?13. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय कानूनी मुद्दे पर एक-दूसरे के साथ संघर्ष में हैं। इसलिए, कानून के उपरोक्त प्रश्नों को निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ द्वारा उत्तर के लिए तैयार किया गया है।ऐसी परिस्थितियों में, हम रजिस्ट्री से अनुरोध करते हैं कि वह आदेश के लिए फाइल को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे।

ग

बिभूति भूषण बोस

बड़ी बेंच को संदर्भित किया गया।

डी.

ई.

च

जी.

एच.